पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

सूचना

संख्या–4/जैव विविधता–04/2024............/प०व०ज०प०, जैव विविधता अधिनियम–2002 (संशोधन 2023) से सम्बन्धित प्रारूप अधिसूचना का प्राख्यापन राज्य सरकार सारण जिला के छपरा सदर अंचल के चिरांद पंचायत अन्तर्गत मौजा चिरांद में गंगा नदी अंश तथा नदी तट पर अवस्थित कुल 2592.89 हे॰ क्षेत्र (नदी अंश 2592 हे॰ तथा भू–खण्ड 0.89 हे॰) के सम्मिलित भू–भाग को जैव विविधता तथा पारितंत्र की विशिष्टता एवं संयोजित रूप से पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखकर जैव विविधता अधिनियम–2002 (संशोधन 2023) की धारा–37 के अन्तर्गत **''जैव विविधता विरासत स्थल''** घोषित करने का विचार रखती है।

2. सरकार ऐसी घोषणा करने के पूर्व किसी व्यक्ति समुदाय तथा किन्हीं हितधारक एवं पक्षकार जिन्हें ऐसी घोषणा से किसी प्रकार से प्रभावित होने की आशंका हो या इसका कोई मामला हो, अथवा जो अन्यथा इससे सम्बद्ध हों, को अपनी आपत्ति, सुझाव या मंतव्य देने का अवसर दिया जाना युक्ति संगत समझती है। इस आशय से यहाँ निम्नांकित ''प्रारूप अधिसूचना'' का प्राख्यापन किया जा रहा है।

3. अधिसूचना का प्रारूप, चिन्हित स्थल का विवरण एवं जी.पी.एस. लोकेशन तथा नक्शा प्रख्यापन पत्र में अंकित फत् ब्कम को स्कैन कर देखा या उसे डाउनलोड किया जा सकता है अथवा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के वेबसाईटः–**https://bsbb.bihar.gov.in/** पर भी देखा जा सकता है।

4. अतएव सारण जिला के स्थानीय समुदाय एवं इस मामलें में अन्य कोई हितधारक अथवा पक्षकार अपनी आपत्ति, सुझाव अथवा मंतव्य इस प्राख्यापन के प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर निम्नांकित प्राधिकारी को यहाँ बताये गये तरीके से दे सकते हैं :–

सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

(क) डाक द्वारा निम्नांकित पते पर :–

सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, चतुर्थ मंजिल,
बिहार राज्य भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड काम्पलेक्स,
शास्त्री नगर, पटना–800023

(ख) इ–मेल द्वारा निम्नांकित इ–मेल आइ०डी० पर :–

bdbihar@bihar.gov.in

उक्त सूचना **state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

(श्याम चन्द्र मंडल)
सरकार के अवर सचिव

PR- 007840 (Environment & Forest) 2025-26

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।